

आति. जिला कलेक्टर
सवाई माधीपुर

वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है जिन्हें कर्मी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त कर्मी पट्टे के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधीपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिकायत प्राप्त होने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त कर्मी पट्टा प्रकरण की जांच कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु

जाकर बहस वकील निगरानीकर्ता सूची गई।
जाने पर भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाई 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील पयान अवसर दिने पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 194/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील पयान अवसर दिने पत्रावली ग्राम अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीनाम को तलबी जारि संमन की

संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त करमाये जाने का निवेदन किया गया है।
पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गौडडा द्वारा जारी कर्मी तरीके से जारी पट्टा विलेख संख्या 21 फूसला दिनांक 21.11.2017 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रीर कार्नी विधि विरुद्ध मिलकर राज्य सरकार की बूस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मी तरीके से पट्टा संख्या 21 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से तहत ग्राम पंचायत गौडडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा जारी पट्टा विलेख निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के

दिनांक 23.02.2026

निर्णय

उपस्थित - श्री लीपिका अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।

.....विपक्षीनाम

4. उप पंचायक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधीपुर।

माधीपुर

1. रघुवीर जाट पुत्र धूँड़या जाट निवासी ग्राम गौडडा तहसील खण्डार, जिला सवाई माधीपुर।
2. सपय, ग्राम पंचायत गौडडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधीपुर
3. साधव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत गौडडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधीपुर

बनाम

.....निगरानीकर्ता

विकास अधिकारी पंचायत समिति, खण्डार जिला सवाई माधीपुर



निगरानी संख्या 13/2023

जी०सी०एम०एस० संख्या 2023/77

तारीख रज 31.07.2023

पीठासीन अधिकारी - संजय शर्मा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधीपुर

आति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

2/10

निर्देशित करने पर माननीय जिला कलेक्टर महादेव को दिनांक 28.12.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट पेश होने पर माननीय जिला कलेक्टर महादेव द्वारा दिनांक 28.06.21 को तीन सदस्यी जांच कमेटी गठित की गई जांच कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.21 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में उक्त शिकायत सही पाई गई तथा जांच किये गये पट्टे कर्मी तरीके से जांच किये जाने पाया गया। यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज सरकार की बस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मी तरीके से पट्टा संख्या 21 फूसला दिनांक 21.11.17 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध व असत्य तथ्यों के आधार पर पट्टा जांच किये गए हैं। उक्त पट्टा जांच करते समय उचित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। उक्त कर्मी तरीके से जांच किये गये पट्टा की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत गोटडा में नहीं पाई गई और उक्त पट्टे के संबंध में नियमानुसार पट्टे की तीन प्रतियां (जिसमें एक पट्टेधारियों के पास, दूसरी ग्राम पंचायत व तीसरी पंचायत समिति में) भी नहीं बनाई गई है। उक्त पट्टे के संबंध में कोई प्रति ग्राम पंचायत गोटडा व पंचायत समिति खण्डार में जमा नहीं है। उक्त विवाहित पट्टा जांच करते समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी जमा नहीं है। उक्त विवाहित पट्टा जांच करते समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी मिलीमगत करके उक्त पट्टे में जो राशि भूमि विक्रय के संबंध में कर्मी तरीके से दर्शाई गई है उक्त भूमि विक्रय राशि 24100/- रु-0 का इन्दाज ग्राम पंचायत गोटडा में उपलब्ध रसीदों में उक्त राशि का इन्दाज ही नहीं है और ना ही उक्त राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा है। इस प्रकार पट्टा जांच करते समय उक्त राशि का पट्टे पर कर्मी तरीके से इन्दाज किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त राशि का रसीद बुक रोकड बही में कोई इन्दाज नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने यह कर्मी इन्दाज कर कर्मी पट्टा बनाया गया है। पट्टा जांच करते समय ग्राम पंचायत के कोरम में एक प्रस्ताव लिया जाता है जिसके संदर्भ में जांच करते समय पंचायत के संकल्प संख्या 1(19) दिनांक 21.11.17 का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत गोटडा में कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त संकल्प संख्या व दिनांक पट्टे पर कर्मी तरीके से अंकित किया गया है। उक्त विवाहित भूखण्ड का बेवान कर्मी पट्टे के मद नं० 2 के अनुसार आपसी बातवीत पर बेवान बताया गया है जबकि पंचायत किस्सी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातवीत के द्वारा विक्रय तब ही कर सकती जब उक्त भूमि के विक्रय करते समय नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती जबकि उक्त प्रकरण में उक्त विवाहित भूखण्ड के नीलामी के माध्यम से बेवान की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई और ना ही उक्त भूखण्ड की वर्तमान बाजार दर से राशि प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा सम्पूर्ण कर्मी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए कर्मी तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 21.11.17 से पट्टा संख्या 21 जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवाहित पट्टा में फूसला दिनांक 21.11.17, पंचायत का संकल्प दिनांक 21.11.17 व भूमि बेवान राशि जमा करने की दिनांक 21.11.17 है अर्थात् विपक्षीगण द्वारा मिली भगत करके एक ही दिन में पट्टे के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है। तीनों ही प्रक्रिया के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत गोटडा में नहीं है। इस कारण पट्टा पर सम्पूर्ण डेबारात कर्मी तरीके से अंकित की गई है। उक्त विवाहित पट्टे पर मिलत संख्या व पट्टा संख्या भी समान है।

निससे पट्टे का कर्मी होना साबित होता है। उक्त विवाहित पट्टा छल, भ्रष्टाचार तथा अर्थात्मिक तरीके से जारी किये गए हैं। ऐसे पट्टों को चुनौती का संभारण करते समय पुनरीक्षण प्राधिकारी के रास्ते में विलम्ब का बिन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कर्मी तरीके से ग्राम पंचायत गौठडा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त करमाई जावे।

वकील निगरानीकर्ता ने बहस में यह भी तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत किया गया। अर्थात्मिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद लागू नहीं होती है। चूंकि उक्त पट्टे शुरू से ही अर्थात्मिक है इसलिए उक्त पट्टों के पंजीकृत होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा को खारिज करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साईटेशन 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 230 श्रीमती उषा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(2)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 1185 मांगी लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 268 श्रीमती शान्ति देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2015(2)DNJ(Raj.) पृष्ठ संख्या 595 राजू चौला बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पेश की।

वकील निगरानीकर्ता की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 व प्रस्तुत दस्तावेजों व नवीनों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त पट्टा संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त पट्टा संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.17 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 21 अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.17 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 21 स्थिति में उक्त पट्टा संख्या 21 आदेश दिनांक 21.11.17 खारिज होने योग्य है।

निरस्त किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(सजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर